

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

हरियाणा सरकार के वित्तों पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 में राज्य के बजट अनुमानों की तुलना में वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (राउबप्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरण की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा संरचनात्मक प्रोफाइल का विश्लेषण प्रकट करता है।

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के हरियाणा सरकार के लेखापरीक्षा किए गए लेखाओं तथा कई स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण तथा जनगणना से प्राप्त अतिरिक्त डाटा पर आधारित, यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है।

अध्याय - 1 वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा हरियाणा सरकार की 31 मार्च 2015 की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह प्राप्तियों तथा संवितरण की टाईम सीरीज, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय तथा निवेश का वित्तीय विश्लेषण, ऋण संपोषण क्षमता तथा राजकोषीय असन्तुलनों का लेखा प्रदान करता है।

अध्याय - 2 विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोजनों का अनुदान वार विवरण देता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन, ट्रेजरीज की वर्किंग में कमियों तथा चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम का विस्तृत विवरण करता है।

अध्याय - 3 हरियाणा सरकार द्वारा, विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं और वित्तीय नियमों की अनुपालना से संबंधित सूची है।

लेखापरीक्षा परिणाम

अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त:

2014-15 के दौरान ₹ 40,799 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष से ₹ 2,787 करोड़ (7.33 प्रतिशत) तक बढ़ गई। 2014-15 के लिए कर-राजस्व (₹ 27,635 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा नियत लक्ष्यों के 9.41 प्रतिशत तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,613 करोड़) 75.50 प्रतिशत तक कम पड़ गया। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 1,520.54 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां 2011-14 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थी।

राजस्व व्यय (₹ 49,118 करोड़) कुल व्यय (₹ 53,677 करोड़) का 92 प्रतिशत था तथा नान-प्लान घटक (₹ 36,358 करोड़) राजस्व व्यय का 74 प्रतिशत था जो तेरहवें वित्त आयोग के नार्मेटिव निर्धारण (₹ 24,103 करोड़) तथा वित्तीय सुधार पथ के प्रक्षेपण

(₹ 35,210 करोड़) से अधिक था। प्रतिबद्ध व्यय के चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पैशान तथा सबसिडियों ने गैर-योजनागत राजस्व व्यय का 81 प्रतिशत संघटित किया।

वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 6,928 करोड़), 2013-14 से 18.43 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा वित्तीय सुधार पथ (₹ 5,800 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा (₹ 6,113 करोड़) से उच्चतर था परंतु मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 7,139 करोड़) के भीतर था।

दो विभागों के चौदह प्रोजेक्ट्स, जो दिसंबर 2012 तथा मार्च 2015 के मध्य पूर्ण किए जाने निर्धारित थे, अभी भी अधूरे थे (जून 2015)। अधूरे प्रोजेक्ट्स के टाइम ओवररन कम किए जाने की जरूरत है।

सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों तथा सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न गत पांच वर्षों में 0.02 से 0.10 प्रतिशत के मध्य भिन्न-भिन्न था जबकि सरकार ने अपनी उधारों पर 9.22 से 9.86 प्रतिशत का औसत ब्याज भुगतान किया। 2014-15 के दौरान ₹ 140.09 करोड़ के कुल निवेशों में से ₹ 66.94 करोड़ विद्युत कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश किए गए थे।

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2015 को ₹ 88,446 करोड़ थीं। इसमें से आंतरिक ऋण ₹ 68,797 करोड़ था। राजकोषीय देयताएं, स.रा.घ.उ. का 20.32 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 2.17 गुणा थीं।

राजस्व घाटा, जो 2011-12 के दौरान शून्य तक नीचे लाया जाना तथा 2014-15 तक शून्य बनाए रखना अपेक्षित था, 2013-14 में ₹ 3,875 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 8,319 करोड़ हो गया। अन्य वित्तीय मानकों में प्रवृत्तियां अर्थात् राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा जो 2013-14 में क्रमशः ₹ 8,314 करोड़ तथा ₹ 2,464 करोड़ था, 2014-15 में बढ़कर क्रमशः ₹ 12,586 करोड़ तथा ₹ 5,658 करोड़ हो गया।

अध्याय – 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रणः

2014-15 के दौरान, ₹ 86,832.00 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ₹ 68,887.58 करोड़ का व्यय किया गया था। ₹ 17,944.42 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों में ₹ 18,350.77 करोड़ की बचत तथा एक अनुदान में ₹ 406.35 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा आफसेट विनियोजन के कारण थी जिसे 2011-12 से 2013-14 की अवधि से संबंधित अनुदानों में ₹ 1,021.22 करोड़ के अधिक व्यय के अतिरिक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमित किए जाने की आवश्यकता थी।

47 मामलों में, ₹ 17,083.97 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में वापस किए गए। बीस मामलों में, ₹ 9,963.77 करोड़ वापस किए गए जिसमें वास्तविक बचतों से ₹ 243.84 करोड़ के अधिक सरेंडर शामिल थे तथा इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण दर्शाते हैं। आगे, 18 मामलों में ₹ 4,507.64 करोड़ की बचतों में से ₹ 1,374.37 करोड़ की बचतें सरेंडर नहीं की गईं।

निधियों के अपर्याप्त प्रावधान तथा अनावश्यक अथवा अधिक पुनर्विनियोजन दोनों के उदाहरण थे।

11 अनुदानों के अंतर्गत 11 मुख्य शीर्षों में ₹ 1,011.04 करोड़ (56 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2015 के माह के दौरान किया गया जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय के बेग को दर्शाता है तथा सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के प्रावधानों के विरुद्ध था।

2014 - 15 के दौरान ₹ 22,110 करोड़ की अनुमानित राशि के विरुद्ध प्लान व्यय केवल ₹ 17,597 करोड़ (79.59 प्रतिशत) था। ₹ 219.54 करोड़ के अनुमोदित प्लान परिव्यय वाली 16 स्कीमों में कोई व्यय नहीं किया गया तथा 40 स्कीमों में ₹ 1,075.40 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के विरुद्ध ₹ 382.28 करोड़ का व्यय किया गया।

अध्याय – 3

वित्तीय रिपोर्टिंग:

विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए गए ₹ 5,085.56 करोड़ के ऋणों तथा अनुदानों के संबंध में 1,270 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2015 को बकाया थे। 63 स्वायत निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, के 186 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2015 को बकाया थे। 29 स्वायत निकायों, जिनकी लेखापरीक्षा राज्य द्वारा नियंत्रक - महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है, में से चार ने गत पांच वर्षों से अधिक समय से अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे।

राज्य सरकार ने ₹ 1.50 करोड़ की राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुर्घटयोग, जालसाजी इत्यादि के 120 मामले सूचित किए जिन पर जून 2015 तक अंतिम कार्यवाही की जानी लंबित थी। इनमें से 109 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे।

2014 - 15 के दौरान कुल व्यय का 15.70 प्रतिशत तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का 5.75 प्रतिशत, वित्त लेखाओं में अलग से वर्णित करने के बजाय बहुप्रयोजन लघु शीर्ष - 800 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करते हैं।